

## आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

#### सूचना \*\*\*\*

दिनांक: 09-09-2024

विषय: एनबीईएमएस वृति (Stipend) दिशानिर्देश

संदर्भः एनबीईएमएस वृति (Stipend) दिशानिर्देशों के लिए एनबीईएमएस सार्वजनिक सूचना दिनांक 02-04-2019

### कृपया ध्यान दें: एनबीईएमएस प्रत्यायन प्राप्त सभी अस्पताल/चिकित्सा संस्थान

एनबीईएमएस सार्वजनिक नोटिस दिनांक <u>02-04-2019</u> के माध्यम से अधिसूचित एनबीईएमएस **वृति** (**Stipend**) दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में , संशोधित एनबीईएमएस वृति (Stipend) दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

- मान्यता प्राप्त अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं को वृति (Stipend) देना अनिवार्य है।
- एनबीईएमएस वृति (Stipend) नीति के अनुसार, अस्पताल को निम्नलिखित लागू श्रेणियों के अनुसार एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं को मूल वृति (Stipend) का भुगतान करना होगा:
  - i. एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित मूल वृति (Stipend):
    - पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी (ब्रॉड स्पेशिलटी) पाठ्यक्रम:

Year of DNB Training		Stipend (in INR) per month
?	First Year	35,000/-
?	Second Year	37,000/-
?	Third Year	39,000/-

## पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी (ब्रॉड स्पेशलिटी) पाठ्यक्रम:

Year of DNB Training		Stipend (in INR) per month
?	First Year	37,000/-
?	Second Year	39,000/-

2 साल का डिप्लोमा (एमबीबीएस के बाद - ब्रॉड स्पेशलिटी) पाठ्यक्रमः

Year of DNB Training Stipend (in INR) per month

?	First Year	35,000/-
?	Second Year	37,000/-

## > डीआरएनबी (सुपर स्पेशलिटी) पाठ्यक्रम

Year of DrNB Training	Stipend (in INR) per month
☑ First Year	41,000/-
Second Year	43,000/-
☑ Third Year	45,000/-

## > एफएनबी पाठ्यक्रमः

Ye	ar of FNB Training	Stipend (in INR) per month
?	First Year	41,000/-
?	Second Year	43,000/-

## ii. निजी या राज्य सरकार के अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं के लिए वृति (Stipend):

निजी या राज्य सरकार के अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों को एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं को एनबीईएमएस द्वारा उपरोक्त क्रम संख्या (i) पे निर्धारित मूल वृति (Stipend) या संबन्धित राज्य सरकार की नीति के अनुसार तय वृति (Stipend), दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा:

राज्यों की श्रेणियाँ	एनबीईएमएस वृति (Stipend) दिशानिर्देशों में वाक्यांश "राज्य सरकार की नीति के अनुसार मूल वृति (Stipend)" की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए:	
	डीएनबी/डिप्लोमा (ब्रॉड स्पेशलिटी) प्रशिक्षुओं के लिए	DrNB (सुपर स्पेशलिटी) और FNB प्रशिक्षुओं के लिए
वे राज्य जहां राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के एमडी/एमएस और डीएम/एमसीएच प्रशिक्षुओं को वृति (Stipend) एक समेकित राशि के रूप में भुगतान किया जाता है (मूल वेतन और भत्ते के किसी भी ब्रेक-अप के बिना)	राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों के एमडी/एमएस प्रशिक्षुओं को भुगतान की गई समेकित राशि	राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के डीएम/एमसीएच प्रशिक्षुओं को भुगतान की गई समेकित राशि
वे राज्य जहां राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के एमडी/एमएस और डीएम/एमसीएच प्रशिक्षुओं को	7वें सीपीसी का वेतन स्तर 10*	7वें सीपीसी का वेतन स्तर 11*

दिए जाने वाले वृति (Stipend) को "मूल वेतन और विभिन्न भत्ते" के रूप में संरचित किया गया है और 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

{सातवें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 10 के सेल 1, 2 और 3 के अनुरूप प्रशिक्षण के क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में वृति भुगतान } {सातवें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 11 के सेल 1, 2 और 3 के अनुरूप प्रशिक्षण के क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में वृति भुगतान }

## iii. रेलवे, ईएसआईसी, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय स्वायत्त और केंद्र सरकार के अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं के लिए वृति (Stipend):

रेलवे, ईएसआईसी, केंद्रीय पीएसयू, केंद्रीय स्वायत्त और केंद्र सरकार के अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों को एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं को एनबीईएमएस द्वारा ऊपर क्रम संख्या (i) पे निर्धारित मूल वृति (Stipend) या नीचे दी गई सारणी के अनुसार मूल वृति (Stipend), दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा:

T. M. O. III.		
डीएनबी/डिप्लोमा (ब्रॉड स्पेशलिटी) प्रशिक्षुओं के लिए	DrNB (सुपर स्पेशलिटी) और FNB प्रशिक्षुओं के लिए	
एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित मूल वृति	एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित मूल वृति	
(Stipend)	(Stipend)	
(0.160.10)	(0.0)	
या	या	
केंद्र सरकार के संबन्धित अस्पताल में गैर- शैक्षणिक जूनियर रेजिडेंट्स को मूल वेतन * का भुगतान किया जाता है।	केंद्र सरकार के संबन्धित अस्पताल में गैर- शैक्षणिक सीनियर रेजिडेंट्स को मूल वेतन * का भुगतान किया जाता है।	
या	या	
7वें सीपीसी का वेतन स्तर 10*	7वें सीपीसी का वेतन स्तर 11*	
{सातवें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 10 के सेल 1, 2 और 3 के अनुरूप प्रशिक्षण के क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में वृति भुगतान}	{सातवें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 11 के सेल 1, 2 और 3 के अनुरूप प्रशिक्षण के क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में वृति भुगतान}	
(समान मूल वेतन * जहां IDA पैटर्न का पालन किया जाता है। पीएसयू में IDA वेतन पैटर्न का पालन किया जाता है)	(समान मूल वेतन * जहां IDA पैटर्न का पालन किया जाता है। पीएसयू में IDA वेतन पैटर्न का पालन किया जाता है)	
उपरोक्त में जो भी अधिक हो	उपरोक्त में जो भी अधिक हो	

<sup>\*</sup> इसमें संबंधित प्राधिकारी/अस्पतालों द्वारा भुगतान किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भत्ते शामिल नहीं हैं। मान्यता प्राप्त अस्पतालों को मूल वेतन के अलावा किसी भी भत्ते का भुगतान करने की स्वतंत्रता है।

<sup>\*</sup> इसमें संबंधित राज्यों में एमडी/एमएस उम्मीदवारों को दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के भत्ते शामिल नहीं हैं। मान्यता प्राप्त अस्पतालों को एनबीईएमएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक किसी भी भत्ते का भुगतान करने की स्वतंत्रता है।

- 6 वर्षीय एनबीईएमएस पाठ्यक्रम के चौथे, पांचवें और छठे वर्ष के प्रशिक्षुओं को सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के प्रशिक्षुओं के बराबर वृति (Stipend) दिया जाएगा, बशर्ते कि वे डीएनबी भाग-। परीक्षा में उत्तीर्ण हों।
- बुनियादी वृति (Stipend) दिशानिर्देशों की समानता बनाए रखने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र सरकार / प्राधिकरणों (जो भी लागू हो) द्वारा किए गए वृति (Stipend) के संशोधन के अनुसार संबंधित अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों द्वारा समय-समय पर वृति (Stipend) की दर को संशोधित करना आवश्यक है।
- एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त अस्पताल एनबीईएमएस प्रशिक्षुओं को निर्धारित वृति (Stipend) से अधिक मासिक वृति (Stipend) देने के लिए स्वतंत्र हैं।
- यह भी वांछनीय है कि अस्पताल अपने प्रशिक्षुओं को उनके वृति (Stipend) के अलावा आवास भी प्रदान करे। हालाँकि, अस्पताल आवास उपलब्ध कराने के बदले प्रशिक्षुओं के वृति (Stipend) को कम नहीं करेगा।

किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप संचार पोर्टल के माध्यम से NBEMS से संपर्क कर सकते हैं। इस पोर्टल को NBEMS वेबसाइट https://natboard.edu.in पर "Contact Us" मेनू के तहत त्वरित लिंक " Communication Web Portal " के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।



एनबीईएमएस

Scroll down the page for English version



# NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES NEW DELHI

## **Notice**

Dated: 09-09-2024

**Subject: NBEMS Stipend Guidelines – Regarding** 

Reference: NBEMS Public notice dated 02-04-2019 for NBEMS stipend guidelines

Kind Attention: All NBEMS Accredited Hospitals / Medical Institutions

In supersession of NBEMS stipend guidelines notified vide NBEMS Public notice dated <u>02-04-2019</u>, the revised NBEMS stipend guidelines are as follows:

- Paying stipend to the NBEMS trainees by the accredited hospitals/medical institutions is compulsory.
- According to the NBEMS stipend policy, the hospital shall have to pay the NBEMS trainees a BASIC stipend in accordance to any of the following applicable categories:

### i. Basic Stipend prescribed by the NBEMS:

#### > Post MBBS DNB (Broad Specialty) Courses:

Ye	ar of DNB Training	Stipend (in INR) per month
?	First Year	35,000/-
?	Second Year	37,000/-
?	Third Year	39,000/-

#### Post Diploma DNB (Broad Specialty) Courses:

Year of DNB Training		Stipend (in INR) per month
?	First Year	37,000/-
?	Second Year	39,000/-

#### 2 Years Diploma (Post MBBS - Broad Specialty) Courses:

Year of DNB Training	Stipend (in INR) per month
Pirst Year	35,000/-
Second Year	37,000/-

### > DrNB (Super Specialty) Courses:

Year of DrNB Training	Stipend (in INR) per month
2 First Year	41,000/-
2 Second Year	43,000/-
2 Third Year	45,000/-

#### > FNB Courses:

Ye	ar of FNB Training	Stipend (in INR) per month
?	First Year	41,000/-
?	Second Year ARD OF A	43,000/-

## ii. Stipend for NBEMS trainees in Private or State Government Hospitals/Medical Institutions:

The Private or State Government hospitals / medical institutions shall have to pay the NBEMS trainees a basic stipend as prescribed by the NBEMS at **Sr. no. (i)** above or basic stipend according to the respective State Government policy (**whichever is higher**):

Categories of States	The phrase "basic stipend according to state Government policy" in NBEMS stipend guidelines should be interpreted as under:		
J. Comments of the comment of the co	For DNB / Diploma (Broad Specialty) Trainees	For DrNB (Super Specialty) & FNB Trainees	
States where the stipend to MD/MS and DM/MCh trainees of State Government Medical Colleges is paid as a consolidated sum (without any break-up of basic pay and allowances)	The consolidated sum paid to MD/MS trainees of State Government Medical Colleges	The consolidated sum paid to DM/MCh trainees of State Government Medical Colleges	
States where the stipend paid to MD/MS and DM/MCh trainees of State Government Medical Colleges is structured as a "Basic pay plus various	Pay level 10 of 7th  CPC*  {Cell 1, 2 and 3 of pay level 10 in pay matrix of 7th CPC correspond to first, second and third	Pay level 11 of 7th  CPC*  {Cell 1, 2 and 3 of pay level 11 in pay matrix of 7th CPC correspond to first, second and	

allowances" and paid as per	year of training	third year of training
recommendations of 7 <sup>th</sup> CPC	respectively}	respectively}

<sup>\*</sup> This does not include any kind of allowances as may be paid to MD/MS candidates in respective states. It is at liberty to the accredited hospitals to pay any allowances over and above the minimum sum prescribed by NBEMS.

# iii. Stipend for NBEMS trainees in Railway, ESIC, Central PSUs, Central Autonomous & Central Government Hospitals / Medical Institutions:

The Railway, ESIC, Central PSUs, Central Autonomous & Central Government hospitals / medical institutions shall have to pay the NBEMS trainees a basic stipend as prescribed by the NBEMS at **Sr. no. (i)** above or basic stipend mentioned as under (**whichever is higher**):

For DNB / Diploma (Broad Specialty)	For DrNB (Super Specialty) & FNB	
Trainees	Trainees	
Basic Stipend as prescribed by the NBEMS	Basic Stipend as prescribed by the NBEMS	
OR	OR	
The Basic Pay * paid to Non-academic	The Basic Pay * paid to Non-academic	
Junior Residents in the concerned Central Govt. hospital	Senior Residents in the concerned Central Govt. hospital	
OR	OR	
Pay level 10 of 7th CPC*	Pay level 11 of 7th CPC*	
{Cell 1, 2 and 3 of pay level	{Cell 1, 2 and 3 of pay	
10 in pay matrix of 7th CPC	level 11 in pay matrix of	
correspond to first, second	7th CPC correspond to	
and third year of training	first, second and third year	
respectively}	of training respectively}	
(Equal basic pay * where IDA pattern is	(Equal basic pay * where IDA pattern is	
followed. IDA pay pattern is followed in PSUs)	followed. IDA pay pattern is followed in PSUs)	
Whichever in above is higher	Whichever in above is higher	

- \* This does not include any kind of allowances as may be paid by the respective authority / hospitals. It is at liberty to the accredited hospitals to pay any allowances over and above the basic pay.
- 4th, 5th& 6th year trainees of a Direct 6 year NBEMS courses shall be paid stipend equal to 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> & 3<sup>rd</sup> year trainees of a Super specialty course respectively provided that they clear the DNB Part-I Examination.

- In order to maintain the parity to basic stipend guidelines, the rate of stipend needs to be periodically revised by the respective hospitals / medical institutions in accordance to the revision of stipend made by the respective State Governments (for Sr. no. ii) or by the Central Government/Authorities (for Sr. no. iii) from time to time.
- NBEMS accredited hospitals are at liberty to pay NBEMS trainees a monthly stipend more than the prescribed stipend.
- It is also desirable that the hospital provides accommodation to their trainees in addition to their stipend. However, the hospital shall not reduce the stipend of the trainees in lieu of providing accommodations.

For any query/assistance, you may contact NBEMS through Communication portal. This portal can be accessed through Quick Link "Communication Web Portal"\_under "Contact Us" menu on NBEMS website <a href="https://natboard.edu.in">https://natboard.edu.in</a>



**NBEMS**